



लाइट हाउस प्रोजेक्ट, राँची, झारखण्ड का ऑनलाइन शिलान्यास



दिनांक: 1 जनवरी, 2021

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण नई एवं उभरती तकनीकों से आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए किया जाना है। आधुनिक तकनीक से बन रहे प्रति फ्लैटो में 1 लिविंग रूम, 1 बेडरूम, 1 रसोई घर, 1 शौचालय, 1 बाथरूम एवं 1 बाल्कनी का निर्माण कराया जाएगा।

लाभुक की पात्रता

- वैसे परिवार जो 17 जून 2015 के पूर्व से नगर निगम क्षेत्र में निवास करते हैं।
- परिवार की सालाना आमदनी अधिकतम 3 लाख रु० हो।
- आवेदक या उसके परिवार के नाम से भारत में कहीं पक्का मकान न हो।
- योजना अंतर्गत लाभुक परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।



नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार
टॉल फ्री नं०: 1800-120-2929 | वेबसाइट: dmajharkhand.in | Follow us on :     @JharkhandDMA